IN THE COURT OF
Spl. Judge (E/C) Act
AT ,Varanasi
(Presided Over by Sri Sarvjeet Kumar Singh)

Misc. Civil Appeal -Old/134/2017

VITTAN DEVI

VERSUS

NAND LAL AND OTHERS

20-02-2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अपीलार्थी व रेस्पाण्डेन्ट नं0-12 तथा रेस्पाण्डेन्ट नं0-31 मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

प्रार्थनापत्र 47 ग एवं 51 ग पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थनापत्र 47 ग रेस्पाण्डेन्ट सं0-12 की तरफ से इस आशय का दिया गया है कि वह मुकदमें में रेस्पाण्डेन्ट नं0-12 है। मुकदमें की कभी कोई जानकारी उसे नही हुयी। इसलिए अवर न्यायालय में उपस्थित नही हो सका और न 6 ग के विरूद्ध आपत्ति दाखिल कर सका। बैनामा बतौर सबूत लालजी बहक राजकुमार मौजा कचनार परगना कसवार, सरकारी तहसील जिला वाराणसी, आराजी 734 ग रकबा 101/2 डिस्मिल का क्रय किया गया है, जिसे पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है तथा प्रार्थनापत्र में हुए विलम्ब हेतु अलग से प्रार्थनापत्र 51 ग प्रस्तुत करते हुए विलम्ब क्षमा करने की याचना भी की गयी है, जिसके साथ शपथ पत्र भी दाखिल है।

अपीलार्थी की तरफ से प्रार्थनापत्र का हर्जे के लिए विरोध किया गया।

रेस्पाण्डेन्ट नं0-31 की तरफ से प्रार्थनापत्र का विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि उक्त कागज किस प्रावधान के तहत दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है उसका उल्लेख नही किया गया है। मूलवाद में उसके द्वारा न तो कोई आपत्ति दाखिल की गयी और न ही कोई जवाबदेही प्रस्तुत की गयी। प्रार्थनापत्र 6 ग वादी व विपक्षी सं0-31 को सुनकर खारिज किया गया। बैनामे की फोटोकॉपी दाखिल किया गया है जो साक्ष्य में ग्राह्य नही है। प्रार्थनापत्र पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर नही है। प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 के प्रावधान से बाधित है। प्रश्नगत सम्पत्ति के बावत जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है उसके विक्रेता ने वही आराजी अन्य लोगों के साथ रकबा 1 डिस्मिल का सट्टा इकरारनामा के आधार पर 1 डिस्मिल पुरूषोत्तम के हक में विक्रय कर दिया और कई विक्रय के माध्यम से जीत बहादुर बतौर स्वामी हुए और उसके प्रतिवादी सं0 31 के पक्ष में विक्रय निष्पादित किया। प्रतिवादी सं0-12 ने

फर्जी रूप से बैनामा कराया है। बैनामा पूर्ण रूप से अवैध है, उसे साक्ष्य में ग्राह्य नही किया जा सकता। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 6ग पर पारित आदेश के विरूद्ध यह प्रकीर्ण अपील दाखिल की गयी है तथा रेस्पाण्डेन्ट नं0-12 की तरफ से बैनामे की प्रमाणित प्रति को मामले के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है, अर्थात अभी मूलवाद में केवल प्रार्थनापत्र 6ग का ही निस्तारण हुआ है। साक्ष्य होना शेष है। केवल विधिक प्रावधान का उल्लेख न करने मात्र से किसी प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाना उचित नही कहा जा सकता। बैनामा की छायाप्रति नही बल्कि प्रमाणित प्रति दाखिल करने की याचना की गयी है। उक्त कागजात के साक्ष्य में ग्राह्यता/अग्राह्यता के बिन्दु पर विचार निर्णय के समय किया जाना न्यायोचित होगा। दाखिल कागजात मामले के प्रभावपूर्ण न्याय निर्णयन में सहायक हो सकता है। अतः वाद के उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दाखिल कागजात पत्रावली पर प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 51ग व 47ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 51ग व 47ग मु0-500/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। दाखिल कागजात पत्रावली पर रखा जाये। कोई खण्डन हो तो दाखिल किया जाये। पत्रावली दिनांक 09.03.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो।

(**Sri Sarvjeet Kumar Singh**)
Spl. Judge (E/C) ActVaranasi